Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 GISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

21वीं सदी में महिला मानवाधिकारों का हनन करती कुरीतियाँ एवं अन्धविश्वास

जितेन्द्र कुमार सरोज
शोध छात्र
मानवाधिकार विभाग, बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, केन्द्रीय, विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 4 Issue 3
Page Number : 52-58
Publication Issue :
May-June-2021
Article History
Accepted : 20 June 2021
Published : 30 June 2021

सारांश– प्रचलित कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए साथ ही सरकार, समाज और परिवार द्वारा महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाये तभी हम इन कुरीतियों एवं अन्धविश्वासों के विरुद्ध लड़ सकेंगे।

मुख्य शब्द– महिला, मानवाधिकार, कुरीतियाँ, अन्धविश्वास, समाज, परिवार, साक्षरता, शिक्षा।

प्रस्तावना – जंगलों में भोजन की प्राप्ति और खाना बदोस की जिन्दगी व्यतीत करने से प्रारम्भ, जीवन की इस यात्रा में आदिम अवस्था का परित्याग कर प्रकृति द्वारा उत्पन्न सबसे विवेकशील प्राणी मनुष्य, आज जब 21वीं सदी में विज्ञान के प्रभाव से सभ्यता एवं सांस्कृतिक विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया है तो, हमारे मन एवं मस्तिष्क में यह विचार उत्पन्न हो रहा होगा की उसकी इस विकास यात्रा में निश्चित तौर पर स्त्री और पुरुषों का बराबर सहयोग रहा होगा वे इस दूरी को एक साथ मिलकर पारस्परिक सहयोग से तय किये होंगे किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ एक लंबे समय से ही हमारे देश में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कमतर माना गया जबकि आज सम्पूर्ण विश्व में प्राप्त संघर्षशील, कर्तव्यनिष्ठ, साहसिक महिलाओं के उदाहरणों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे किसी भी मामले में पुरुषों से कमतर नहीं हैं किन्तु फिर भी उन्हें समाज में गैर बराबरी, असमानता, असहिष्णुता, एवं सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें कभी प्राप्त करने की कामना ही नहीं की गई,[1] उन्हें स्वतंत्र समझा ही नहीं गया,[2] उन्हें तो दुःख का कारण माना गया।[3] जरा कल्पना कीजिये अन्याय, अनीति, शोषण एवं उपेक्षा का सामना करते हुए अपने अस्तित्व को बचा कर समाज के अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान स्थापित करने वाली अत्यधिक संवेदनशील, रचनात्मक एवं धैर्यशाली आदि तमाम नैसर्गिक गुणों से परिपूर्ण महिलाओं को यदि प्राचीन काल से ही पुरुषों की भाँती समान प्रतिनिधित्व, अवसर एवं बराबरी का दर्जा दिया गया होता तो निश्चित तौर पर हम दोगुने रफ्तार से सफलता की बुलन्दियों पर पहुँचकर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे होते। दुनिया की यह आधी आबादी असहयोग, अपमान एवं अत्याचार का कडुआ घूँट पीती रही और कभी अपने शोषण के विरुद्ध

[1] अथर्ववेद 3 ,23, 6, 11
[2] पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने
रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वतंत्र्यमर्हति – वशिष्ठ 1–2
[3] बृहदारण्यक उपनिषद 4 ,18

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

आवाज उठाने का साहस नहीं कर सकी। महिलाओं की इस दयनीय स्थिति के पीछे के कारणों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि कभी इसके लिए पुरुषवादी मानसिकता को दोषी ठहराया गया तो कभी उनकी शारीरिक कमजोरी का हवाला दिया गया कभी धर्म को आधार बनाया गया इन सब के साथ–साथ विशेष कर भारतीय परिप्रेक्ष में महिलाओं की दयनीय स्थिति के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वह थी इनके विरुद्ध प्रचलित कुरीतियाँ एवं अन्धविश्वास जिसने इनकी स्थिति को बद से बदतर बना दिया । आज हम 21वीं सदी के मानवतावादी वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं जहाँ पर सम्पूर्ण विश्व आपसी प्रतिस्पर्धा में विकास के मार्ग पर निरंतर अग्रसर हो रहा है वहीं हमारा देश विभिन्न सामाजिक बुराईयों अन्धविश्वास कर्मकाण्डों के माया जाल में फंसा है और इस माया जाल में फंस कर हमारा देश विकास के मार्ग से भटक रहा है।

कुरीति का अर्थ एवं परिभाषा – कुरीति शब्द कु + रीति शब्द से बना है कु का अर्थ है अनुचित, बुरा या भद्दा और रीति का अर्थ है प्रथा अथवा रूढ़ि (अन्य पर्यायवाची परम्परा, रिवाज, चलन, प्रचलन) इस प्रकार कुरीति को जानने से पहले हमें रीति अर्थात प्रथा या रूढ़ि को जानना होगा सामान्यतया प्रथा शब्द का प्रयोग ऐसी जनरीतियों के लिए होता है जो समाज में बहुत समय से प्रचलित हों । जब जनरीतियों को पीढ़ी–दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है तो वे प्रथाओं के नाम से जानी जाती हैं प्रथाएं नवीनता की विरोधी होती हैं और ये कार्य करने के परम्परागत तरीकों पर जोर देती हैं।[4]

हालैण्ड के अनुसार "रूढ़ि आचरण की वह प्रणाली है जिसका सामान्यतः पालन किया जाता है। जिस प्रकार किसी घास के मैदान में पैरों के पड़ते पड़ते एक पगडण्डी सी तैयार हो जाती है उसी प्रकार नित्य प्रति के व्यवहारों के अनुकरण से प्रथा का जन्म होता है।[5]

कार्टर के अनुसार "समान परिस्थितियों में समस्त व्यक्तियों के कार्यों की एकरूपता को रूढ़ि कहते हैं।[6]

आस्टिन के अनुसार "प्रथा व्यवहार का एक नियम है जिसे शासित लोग स्वैच्छिक रूप से पालन करते हैं, परन्तु राजनीतिक श्रेष्ठ के द्वारा प्रतिपादित विधि के द्वारा नहीं।"[7]

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी समुदाय विशेष द्वारा किसी परम्परा का जब स्वेच्छा से पालन किया जाता है तो उनके द्वारा किया गया उनका यही आचरण ही रूढ़ि का रूप ग्रहण कर लेती है जिस पर चलना और जिसका पालन करना लोग अपने जीवन का अंग समझते हैं। प्राचीन हिन्दू साहित्य प्रथाओं के अनुरूप ही संव्यवहार करने का निर्देश देते हैं मनुस्मृति में शासक को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने न्याय–निर्णय को रूढ़िगत प्रथाओं तथा धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों पर आधारित करे।[8] इसी प्रकार नारदस्मृति,[9] बृहस्पति,[10] याज्ञवल्क्य[11] सभी इस बात का समर्थन करते हैं की मनुष्य को प्रथाओं के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए।

---

[4] विधिशास्त्र टी.पी. त्रिपाठी पृष्ठ 292

[5] हालैण्ड टी. ई. रू एलिमेंट्स ऑफ़ ज्यूरिसप्रूडेन्स

[6] विधिशास्त्र एवं विधि के सिद्धांत डॉ एन. वी. परांजपे पृष्ठ 242

[7] आस्टिन, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिसप्रूडेन्स (चौथा संस्करण), पृष्ठ 104–105

[8] विधिशास्त्र एवं विधि के सिद्धांत डॉ एन. वी. परांजपे पृष्ठ 241

[9] व्यवहारो हि बलवान् धर्मस्तेनावहीयते।

[10] देहजातिकुलानां च ये धर्मारू प्राक्प्रवर्तिता।
तथैव ते पालनीयारू प्रजा प्रक्षुभ्यतेऽन्यथा।।

[11] यस्मिन देशे यरू आचारो व्यवहाररू कुलस्थितिरू।
तथैव परिपाल्योऽसौ यदा वंशमु पगतरू।।

इन प्रथाओं को विधिक बल प्राप्त करने के लिए कुछ कसौटियों से गुजरना पड़ता है वे हैं स्मरणातीत काल से प्रचलन अर्थात प्राचीनता, निरन्तरता, निश्चितता, संगतता, युक्तियुक्तता, संविधियों से अनुरूपता, शांतिपूर्ण उपभोग, बाध्यकारी शक्ति और साथ ही प्रथा अनैतिक नहीं होनी चाहिये चूँकि हमारे अध्ययन का विषय रीति या प्रथा न होकर कुरीति है जो कि इन सभी कसौटीयों पर खरी नहीं उतर सकती क्योंकि सभी रूढ़ियों के पीछे युक्तियुक्त तार्किक कारण नहीं होता, केवल अन्धानुकरण द्वारा उन्हें जनता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इन कुरीतियों को कोई विधिक बल भी नहीं प्राप्त है साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 (1) द्वारा इन्हें शून्य भी घोषित कर दिया गया है क्योंकि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है किन्तु फिर भी ये समाज में प्रचलन में हैं और निरंतर मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं।

अंधविश्वास का अर्थ

अंधा विश्वास, "Blind faith" यानी ऐसा विश्वास जिसमें लोग अपना दिमाग नहीं लगाते, उसके सच, झूठ का पता नहीं करते, उसकी वैज्ञानिकता को नहीं जानते, उसे इसलिए मानते हैं क्योंकि लोग मानते हैं।' श्रद्धा' शब्द श्रत् + धा से बना है। श्रत् का अर्थ है Belief या Faith और धा का अर्थ है धारण करना। श्रद्धा का अर्थ है Belief in Devine revelation या Religious faith। जिस कल्पना पर पक्का विश्वास होता है उस भावना को श्रद्धा कहा जाता है। इस प्रकार कोई कहता नहीं की हवाई जहाज, टेलीफोन, पर मेरी श्रद्धा है। जो बाते विज्ञान के आधार पर सिद्ध हो जाती हैं उन पर हमारा भरोसा होता है। भरोसा अनुभवजनित और विश्वासजनित होता है। इसके विपरीत जिस श्रद्धा में कोई समझदारी या अक्लमंदी नहीं होती है उसे हम अंधश्रद्धा या अन्धविश्वास कहते हैं। किसी भी बात को बिना सोच समझ के, बिना किसी आधार के चरम सीमा के परे जाकर करना एवं मानना अंधविश्वास हैं। इस प्रकार साधारण शब्दों में बिना किसी सम्यक् तार्किक अथवा वैज्ञानिक प्रमाण के किसी भी बात पर विश्वास करना अन्धविश्वास है।

भारत में महिलाओं के विरुद्ध प्रचलित कुरीतियाँ एवं अन्धविश्वास

(1) **कुरीतियाँ**

- **कुरीतियाँ जो अब लगभग प्रचलन में नहीं रहीं –**
  सती प्रथा, विधवाओं का मुंडन, विधवा पुनर्विवाह न किये जाने की प्रथा, नियोग प्रथा, जौहर प्रथा, नित्यमंगली प्रथा, स्तन कर देने की प्रथा, परवर्दाह प्रथा, इत्यादि।
- **कुरीतियाँ जिनका प्रचलन अभी भी भारत में है –**
  दहेज़ प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, गोठ प्रथा, डाकन प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति, जन्म पूर्व अथवा पश्चात् कन्याओं की हत्या, मोक्ष के लिए कोड़े मारने की प्रथा, कुकरी प्रथा, इद्दत का पालन, मुता विवाह, हलाला, शुद्धिकरण प्रथा, साठा प्रथा, सफ़ेद दाग रोगियों से भेदभाव, वैवाहिक चिन्ह पहनने की प्रथा, कोना प्रथा इत्यादि।

(2) अन्धविश्वास

लिंग निर्धारण में महिला जिम्मेदार, बांझपन की शिकार महिला के साथ भेद–भाव, मृत्यु भोज (अन्त्येष्टि), जादू टोना, तंत्र, मन्त्र, भूत प्रेत, देवी आना, लड़कियों में भानमती, दैवीय प्रकोप, चमत्कार, सम्मोहन, भूत प्रेत से साक्षात्कार, बड़ी माता, छोटी माता, शुभ अशुभ, तावीज का प्रयोग, वशीकरण, ग्रहों का मायाजाल, मांगलिक वधू व आमंगालिक वधू, पाखण्डी बाबा की शरण इत्यादि।

प्रथा कुरीतियों और अन्धविश्वास के माध्यम से महिला मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के उपाय

विधिक प्रावधान

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 (1) यह प्रावधान करता है कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबन्धों से असंगत हैं अनुच्छेद 13 (3) (क) में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि विधि के अंतर्गत रूढ़ि या प्रथा भी शामिल है इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारत में प्रचलित वे सभी रूढ़ियाँ या प्रथाएं जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं असंवैधानिक व शून्य हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 (2) (ख) इस प्रकार की प्रथाओं पर रोक लगता है इस अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता राज्य द्वारा समाज–कल्याण एवं सुधार के लिए व्यवस्था करने में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकती। उक्त खण्ड के अंतर्गत राज्य कानून बना कर उन सामाजिक कुरीतियों एवं अन्धविश्वासों का उन्मूलन कर सकता है जो राज्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं ऐसी क्रियाएँ किसी भी धर्म का आवश्यक तत्व नहीं होती हैं और इनका उन्मूलन धर्म पर आघात नहीं पहुंचाता ऐसी दशा में धर्म के ऊपर समाज–कल्याण एवं सुधार की व्यवस्था प्रभावी होती है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(क) (ङ) ऐसी प्रथाओं को त्याग करने का कर्तव्य अधिरोपित करता है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।

भारतीय संविधान का भाग 3 "शोषण के विरुद्ध अधिकार" के माध्यम से मानव का दुर्व्यपार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम को प्रतिषिद्ध करता है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 371 के अनुसार "जो कोई अभ्यस्तः दासों का आयत करेगा, अपसारित करेगा, खरीदेगा, बेचेगा, या उनका दुर्व्यपार, या दुर्व्यवहार करेगा वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भी भाँती के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक न होगी दण्डित किया जायेगा या जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। इसी प्रकार भारतीय दण्ड संहिता द्वारा धारा 312 से 318 तक के प्रावधानों द्वारा कन्याभ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास किया गया है।

सती (निवारण) अधिनियम 1829 और 1987 – भारत देश में सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमे एक महिला को पति के साथ जिन्दा जला दिया जाता था। समाज के लोग महिलाओं पर इस आधार पर दबाव बनाते थे की इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी इस क्रूर और अमानवीय व्यवहार को रोकने के लिए भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय ने अथक प्रयास किया परिणाम स्वरूप लार्ड विलियम वेटिंग ने कानून बना कर इसे समाप्त कर दिया किन्तु बाद में भी ऐसी घटनाएँ होती रही जिसके कारण 1987 में पुनः इस पर कानून बनाया गया। और परिणाम यह हुआ कि आज हमारे देश में सती प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई है।

बाल विवाह (निषेध) अधिनियम 2006 – बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 से प्रतिस्थापित किया गया है। यह अधिनियम बाल विवाह संपन्न कराने को बढ़ावा देने या उसकी अनुमति देने के लिए सजा विहित करता है । यह सजा दो वर्ष के कारावास और एक लाख रुपए तक के अर्थदंड की हो सकती है। अधिनियम राज्य सरकार को बाल विवाह की रोकथाम करने, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर साक्ष्य एकत्र करने, बाल विवाह के मुद्दों पर समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक निर्णयाधिकार के साथ बाल विवाह निषेघ अधिकारियों की नियुक्ति की अनुमति देता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 – हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 द्वारा बहुविवाह प्रथा पर रोक लगा दी गई है। इस धारा के अनुसार विवाह की पहली शर्त यह है की विवाह के दोनों पक्षकारों में किसी का पति या

पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। इस प्रावधान के उल्लंघन पर हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 17 के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 और 495 के उपबंधो के अनुसार दण्डित किया जायेगा।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 – वेश्यावृत्ति हमारे समाज, देश के लिए ही समस्या नहीं है वरन यह समस्या एक विश्वस्तरीय समस्या है। शनै–शनै: समस्त देश इसके निवारण के लिए कार्यरत रहे हैं और आज भी हैं, किन्तु यह आज भी हो रही है। हमारे देश भारत में वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए सन् 1956 में एक अधिनियम (कानून) पारित किया गया जिसे अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम नाम दिया गया है । इस एक्ट के द्वारा वेश्यावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के सुधार एवं दण्ड की व्यवस्था की गयी है । इस एक्ट में कुल 25 धाराएँ हैं।

दहेज (प्रतिषेध) अधिनियम 1961 – दहेज प्रतिषेध अधिनियम भारत में दहेज सम्बन्धी बुराईयों को रोकने के लिए पारित किया गया । यह बुराई निःसंदेह ही समाज को विकृत कर रही हैं। इस बुराई को रोकने के लिये संसद ने सन 1961 में अधिनियम संख्या 28 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम' को पारित किया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम दहेज लेना और दहेज देना दोनों को प्रतिसिद्ध करता है। किन्तु यह खेद की बात है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अस्तित्व के आ जाने के बाद भी दहेज के माँग में कोई कमी नहीं आ रही है इस अधिनियम में 1984 में संशोधन भी किया गया लेकिन तब भी यह कारगर नहीं साबित हुआ हाँ इस अधिनियम का दुरूपयोग जरूर देखने को मिला है ।

राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 – डायन–प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 पारित होने के बाद राजस्थान ऐसा कानून बनाने वाले गिने–चुने राज्यों में शामिल हो गया है। इस अधिनियम में महिलाओं को डायन कह कर अखाद्य पदार्थ पीने या खाने को मजबूर करने, नग्न या अर्द्ध नग्न घुमाने अथवा सम्पत्ति से बेदखल करने को दण्डित किया गया है इसके तहत इन महिलाओं को सताने वालों के साथ ही डायन चिकित्सक होने का दावा करने वालों को भी सजा होगी। इस अधिनियम में डायन प्रताड़ना के मामले में सात साल तक तथा इससे मौत पर आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार हम देखते हैं कि असम में प्रीवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम विच–हंटिंग बिल, 2015, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005, महाराष्ट्र काला जादू अध्यादेश 2013, 1982 कर्नाटक और 1988 आंध्रप्रदेश में देवदासी प्रथा बंद की गयी और कर्नाटक में अंधविश्वास निरोधक अधिनियम 2017 पारित किया गया जिनका मुख्य उद्देश्य अन्धविश्वास पर आधारित अपराधों का निर्मूलन था।

न्यायिक दृष्टिकोण –

सैफुद्दीन साहब बनाम स्ट्रेट ऑफ़ बम्बई राज्य[12] के वाद में अनुच्छेद 25 (2) (ख) को आधार बना कर न्यायालय ने सती और देवदासी जैसी प्रथाओं को निषिद्ध करने के लिए बनाये गए कानून को विधिमान्य घोषित किया।

बालुसामी बनाम बाल कृष्ण[13] मामले में माननीय न्यायालय ने कहा ऐसी प्रथा जो अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध हो न तो मान्य होगी न ही प्रवर्तनीय।

वासवा[14] के मामले में माननीय न्यायालय में देवदासी प्रथा पर रोक लगाया और इसे अपराध घोषित किया क्योंकि न्यायालय का मानना था कि किसी बालिका को देवदासी के रूप में किसी मंदिर को समर्पित करना ऐसे

[12] AIR 1962 SC 835

[13] AIR 1957 मद्रास 97

[14] (1891) 15 मद्रास 75

अवयस्क के व्ययन के तुल्य है, क्योंकि यह ज्ञात रहता है कि वेश्यावृत्ति के प्रयोजन हेतु लड़की का उपयोग में लाया जाना संभाव्य है।

गोवादुर भुयन[15] तथा गंदूर नायका[16] के वाद में न्यायालय ने जादू टोने या इन्द्रजाल के कारण सृजित भय के कारण मृत्यु कारित करने को न्याय संगत नहीं माना ।

इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ़ केरल और अन्य[17] के मामले में जो की अत्यधिक विवादित रहा माननीय उच्चतम न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को हटा दिया । इस मंदिर में एक लम्बे समय से रजस्वला स्त्रियों के प्रवेश पर रोक थी ।

निष्कर्ष – जिस देश के संविधान का निर्माण ही व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखण्डता को सुनिश्चित करने वाली बन्धुता को बढ़ाने के लिए हुआ हो जिस देश का संविधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करने की मार्मिक अपील करता हो, उस देश में अन्धविश्वास एवं कुरीतियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए था किन्तु यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे देश में अंधविश्वास एवं कुरीतियाँ न सिर्फ फली–फूली बल्कि मानवाधिकरों के उल्लंघन में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज़ प्रथा, इत्यादि जैसी कुरीतियों के विरुद्ध केन्द्रीय स्तर पर कानूनों का निर्माण हुआ इन कानूनों का प्रभाव यह रहा कि कुछ कुरीतियों पर यह काफी हद तक कारगर साबित हुए तो कुछ कुरीतियों को इन कानूनों द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया किन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि अन्धविश्वास रोधी कोई भी केन्द्रीय कानून नहीं बनाया गया यद्यपि महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने इस क्षेत्र में कानून बना कर सराहनीय कार्य किये फिर भी अन्य राज्यों में इस तरह के कानूनों का अभाव है इसलिए एक कठोर केन्द्रीय कानून का निर्माण किया जाना अति आवश्यक हो गया है नहीं तो पाखण्डी बाबाओं और तांत्रिकों आदि के द्वारा तन्त्र मन्त्र आदि के नाम पर महिलाओं का शोषण जारी रहेगा, डायन, टोनही कह कर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता रहेगा, हत्या और बलि जैसी घटनाएं रोजमर्रा होती रहेंगी ।

यह सुखद है कि केंद्र सरकार द्वारा असम की बिरुबाला रभा को और झारखण्ड की छुटनी महतो को भूत–प्रेत तंत्र मंत्र और डायन प्रथा के विरुद्ध लड़ने के लिए वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया जिससे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का मनोबल इस प्रकार की सामाजिक बुराईयों से लड़ने के लिए बढ़ेगा। यह सत्य है कि भूत–प्रेत, तन्त्र–मंत्र, कला जादू, टोना, डायन, वशीकरण इत्यादि के भ्रामक प्रचारकों और तथाकथित सिद्ध पुरुषों से समाज को बचाने के लिए तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों से लड़ने के लिए एक सशक्त केन्द्रीय कानून का बनाया जाना अत्यंत ही आवश्यक है, परन्तु सिर्फ कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा इन कानूनों का सही भांति निष्पादन सुनिश्चित हो सके इसके लिए न्यायालयों को स्वयं मानिटरिंग करनी होगी। जो व्यक्ति सिद्ध पुरुष होने का दावा करता हो उसे सबके सामने इन दावों को सिद्ध करने को कहा जाये और इसकी वीडियो रिकार्डिंग भी की जाए जिसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया जाये, गाँव–गाँव गली–गली में युद्ध स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाये और जनता की भीड़ इकठ्ठी की जाए। यदि कोई मानशिक बीमारी से ग्रस्त हो और अजीबोगरीब हरकत करे तो उसे अच्छे मस्तिष्क चिकित्सक को दिखाया जाए साथ ही मनोवैज्ञानिकों की सलाह ली जाए । प्रचलित कुरीतियों के प्रति लोगों

[15] (1870)13 डब्लू आर (क्रि) 55

[16] (1882)1 वेयर 305

[17] AIR 2018 SCC SC 1690

को जागरूक किया जाए साथ ही सरकार, समाज और परिवार द्वारा महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाये तभी हम इन कुरीतियों एवं अन्धविश्वासों के विरुद्ध लड़ सकेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1.भारत का संविधान 1950
2.असम में प्रीवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम विच–हंटिंग बिल, 2015
3.राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015
4.छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005
5.महाराष्ट्र काला जादू अधिनियम 2013
6.भारतीय दण्ड संहिता 1860
7.गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1974
8.सती (निवारण) अधिनियम 1829 और 1987
9.बाल विवाह (प्रतिषेध) 2006
10.हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
11.अनैतिक व्यापर (निवारण) अधिनियम 1956
12.दहेज़ (प्रतिषेध) अधिनियम 1961
13.पाण्डेय जय नारायण डॉ, भारत का संविधान 46वाँ सं. 2013 से.लॉ.ए .इलाहाबाद
14.अग्रवाल एच, ओ. डॉ. अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार, से.लॉ.प. इला 10वाँ स. 2008
15.सम–सामयिक घटनासार
16.प्रतिमा चतुर्वेदी भारत में सामाजिक समस्या संस्करण, प्रथम 2011 प्रकाशक, वाईकिंग बुक्स, जैन भवन,
17.एन. ई. आई. के सामने शांति नगर जयपुर
18.शर्मा जी. एल, सामाजिक मुद्दे प्रथम 2015